कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर

प्ररूप–ङ

|नियम 7(2) देखिये|

वृक्ष कटाई हेतु अनुमति

क्रमांक /1204/अ–62/2024–25 जगदलपुर दिनांक 21/07/2025

प्रति,

श्री सी.के. श्रीवास्तव,
निवासी अटल बिहारी वार्ड, सशांक विला,
विवेकानंद हॉस्पिटल धरमपुरा–1,
जगदलपुर, जिला बस्तर।

विषयः– वृक्ष कटाई अनुमति बाबत्।

––00––

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 31/01/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन के संदर्भ में कार्यालय तहसीलदार जगदलपुर जिला बस्तर का प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2025 को प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि में एक पक्का मकान निर्मित है। आम 05 नग, नारियल 03 नग एवं शीशम 01 नग वृक्ष खड़ा है। शीशम वृक्ष की छाता गोलाई 1.40 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। शीशम वृक्ष को स्वयं के उपयोग हेतु आवेदक कटवाना चाहता है।

अभिलेख के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम धरमपुरा खसरा नं. 106/3 आवेदक के नाम सी.के. श्रीवास्तव पिता एस.एन. श्रीवास्तव वर्ग सामान्य के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित 01 नग शीशम वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी एवं यह आदेश केवल एक कैलेण्डर वर्ष के लिए ही मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
जगदलपुर, जिला बस्तर

पृ0 क्रमांक /1205/अ–62/2024–25 जगदलपुर दिनांक 21/07/2025

प्रतिलिपिः–

1– कलेक्टर, जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2– वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला बस्तर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– तहसीलदार जगदलपुर को सूचनार्थ वे वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करना सुनिश्चित करें।
4– सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
जगदलपुर, जिला बस्तर

आवक – जावक
तहसील कार्यालय
जगदलपुर, जिला – बस्तर (छ.ग.)